अध्याय – 2 (मैन्युअल–2)

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं उसका संवर्धन करना है ।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

विकास के साथ–साथ पर्यावरण का संतुलन बनाये रखना ही इस बोर्ड का मिशन है

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास एवं उसके गठन का प्रसंग

देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण से हमारी विधायिका आरंभ से ही चिन्तित रही है उसका यह मानस रहा है कि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिये प्रभावी विधि बननी चाहिऐ। इसी को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये सन् 1962 में एक समिति का गठन किया गया और उसे जल प्रदूषण के निवारण हेतु विधेयक का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया। समिति की रिपोर्ट को सितम्बर 1963 में राज्य सरकारों को विचार हेतु भेजा गया। राज्य सरकारों ने उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया कि ये उपबंध न तो पर्याप्त थे और न ही संतोषप्रद। राज्यों ने एक विस्तृत उपबंध करने वाली विधि का प्रारूप तैयार करने की राय दी। इसके अनुसरण में एक विधेयक तैयार किया गया जिसमें निम्नांकित महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ थी–

1. केन्द्र एवं राज्यों के लिये जल प्रदूषण निवारण बोर्डो की स्थापना।
2. अधिनियम के उपबंधों की अवहेलना किये जाने पर दण्ड एवं शास्ति की व्यवस्था तथा
3. केन्द्र तथा राज्यों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

उपरोक्त विषय संविधान की सातवीं अनुसूची–।। सूची की छटवीं एवं 17वीं प्रविष्टि में आते थे अतः संसद अकेली को ऐसी विधि बनाने की अधिकारिता नही थी। इसके लिये संविधान के अनुछेद 252 के अन्तर्गत राज्यों के संकल्प की आवश्यकता थी। यही कारण है, कि इस अधिनियम की अंगीकरण के लिये राज्यों के संकल्प का प्रावधान किया गया।
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत् दिनांक 23 सितम्बर 1974 को हुआ है

2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

बोर्ड का प्रमुख कर्तव्य (वे सभी अधिनियम जिनका दायित्व बोर्ड को सौपा गया है एवं जो नीचे उल्लेखित है) सभी अधिनियमों के उद्देश्यों को क्रियाविन्त करना तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास करना।

1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974
2 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977
3 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981
4 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियम निम्नानुसार है :–
    1 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 1989
    2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण,भंडारण और आयात नियम 1989
    3 ई.आर.ए नोटिफिकेशन 1994
    4 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हस्तन) नियम 1998
    5 पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम 1999
    6 नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2000
    7 बैटरी (प्रबंधन तथा हथालन) नियम 2001
    8 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट अधिनियम, 2004

2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य

जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है :–

1 राज्य में सरिताओ के प्रदूषण निवारण,नियंत्रण या उपसमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन की सुनिश्चित् करना।
2 जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण या उपशमन से संबद्व किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
3 जल प्रदूषण और उसके निवारण नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
4 जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुशंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
5 जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम मे लगे हुये या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
6 मल या व्यवसायिक बहिस्त्राव क मल और व्यवसायिक बहस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म और संयत्रो का निरीक्षण करना और जल की अभिक्रिया के लिये स्थापित संयत्रो से उसके शुद्व करने के लिये, संकर्मो से और मल या व्यवसायिक बहिस्त्राव के व्ययन की पद्वति से, या इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई संपत्ति प्रदान करने से संबधित योजनाओं विनिनिर्देशों या अन्य आंकड़ो की समीक्षा करना।

7 मल और व्यवसायिक बहस्त्राओं के लिये बहिस्त्रावों के निसरन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की (जो अंतराजकीय सरिता का जल न हो) क्वालिटी के लिये बहिस्त्राव नामक अधिक–कथित करना उसमें उपांतरण करना या उन्हें बातिल करना और राज्य के जल का वर्गीकरण करना।

8 विभिन्न क्षेत्रो का मृदा जलवायु और जल स्त्रोतों की विशेष दशाओं का ओर विशेष रूप से सरिताओं और कुओं में जल के बहाव की विधमान प्रकिति का जिसके कारण तनुकरण की न्युनतम डिग्री भी संभव नही है ध्यान रखते हुये मल और व्यवसायिक बहिस्त्राओं की अभिक्रिया की मितत्वयी और विश्वसनीय पद्वतियॉ निकालना।

9 कृषि में मल और उपयुक्त व्यवसायिक बस्त्रिाओं के उपयोग की पद्वतियॉ विकसित करना ।

10 भूमि पर ऐसे मल और व्यवसायिक बहिस्त्राओं के व्ययन की दक्ष पद्धतियॉ विकसित करना जो सरिता के क्षीण बहाव के कारण तंतुकरण की न्युनतम डिग्री वर्ष के अधिकतर भाग में नही हो सकती है। व्ययन के लिये दक्ष पद्धतियॉ विकसित करना।

11 किसी सरिता में अच्छे मौसम में न्युनतम तनुकरण को और ऐसे बहिस्त्रावों के निसरण के पश्चात् उस सरिता के जल में अनग्य प्रदूषण की सहनसीमा को ध्यान में रखते हुये किसी विशेष सरिता में निसरित किये जाने वाले मल और व्यवसायिक बहिस्त्राओं के अभिक्रिया के मानक अभिकथित करना।

12 निम्नलिखित के लिये आदेश करना, उसमें उपांतरण करना या उसे वापस लेना ।

क. सरिताओं या कुओं में अपशिष्ठ के निस्सरन के निवारण, नियंत्रण का अपशमन के आदेश।

ख. संपृक्त व्यक्ति से मल और व्यवसायिक बहिस्त्राओं के व्ययन की नई पद्वतियॉ का निर्माण करने की या विद्यमान पद्वती में उपांतरण, परिवर्तन या विस्तार करने की या रोकथाम के ऐसे उपाय अपनाने की जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये आवश्यक उपचार करने की उपेक्षा करने वाला आदेश।

13 मल या कचड़ा या दोनो निस्सारण कराते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले बहिस्त्राओं के मानक अधिक कथित करना और मल और व्यवसायिक बहिस्त्राओं के लिये मानक अधिक कथित करना उसमें उपांतरण करना या उन्हें बातिल करना।

14 राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के अवस्थान के बारे में सलाह देना, जिसके चलाये जाने से किसी सरिता या कुएॅ का प्रदूषण संभाव्य है।

15 ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये या उसे समय–समय पर सौंपे जायें।

वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत बोर्ड के मुख्य कृत्य निम्नानुसार है :–

1 वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसक निष्पादन को सुनिश्चित करना।

2 वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन से संबद्व किसी विषय पर राज्य सरकार का सलाह देना।

3 वायु प्रदूषण और उसके निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

4 वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम में लगे हुये या लगाये जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केन्द्रीय बोर्ड के साथ सहयोग करना और उससे संबंधित सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

5 युक्तियुक्त समय पर किसी भी नियंत्रण उपस्कर, औद्योगिक संयत्र अथवा अभिक्रिया के लिये संकर्म का निरीक्षण करना तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिये आदेश द्वारा ऐसे निदेश देना जो व आवश्यक समझे।

6 वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रो में वायु की गुणवत्ता का मून्यांकन करने के लिये ऐसे अंतरालों पर जैसा आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रो का निरीक्षण करना और ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिये कदम उठाना।

7 केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिये अधिकथित मानको को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संयत्रो और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सरण के लिये मानक अधिकथित करना, परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन विभिन्न औद्योगिक संयत्रो के लिये ऐसे औद्योगिक संयंत्रो से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन की मात्रा और संघठन को ध्यान में रखते हुये उत्सर्जन के भिन्न–भिन्न मानक अधिकथित किये जा सकेगें।

8 राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण संम्भाव्य है।

9 ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय–समय पर सौंपे जायें।

10 इस अधिनियम के प्रयोजनो के प्रभावी क्रियान्वयन और अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये ऐसा कोई भी अन्य कार्य या बात करना जो आवश्यक हो।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा इसके तहत् बनाये गये विभिन्न नियम जिसका उल्लेख बिन्दु पर किया गया है, के तहत् बोर्ड के कृत्य निम्नानुसार है :–

1 ईकाई को प्राधिकार/अनुमति प्रदाय करना।
2 ईकाई/संस्था से होने वाले प्रदूषण की जॉच करना,नमूना एकत्रित कर विश्लेषित करना।
3 ईकाई/संस्था से होने वाले प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण करना।
4 नियमों के उल्लधन करने वाली ईकाईयो को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करना ।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओ की सूची एवं विवरण

बोर्ड द्वारा जो विभिन्न सेवाऍ प्रदत्त की जाती है उनमें से मुख्य निम्नानुसार है :–

1 जल प्रदूषण की जॉच करना ।
2 वायु प्रदूषण की जॉच करना ।
3 ध्वनि प्रदूषण की जॉच करना ।
4 वाहन प्रदूषण की जॉच करना ।

2.7 विभागीय संरचना

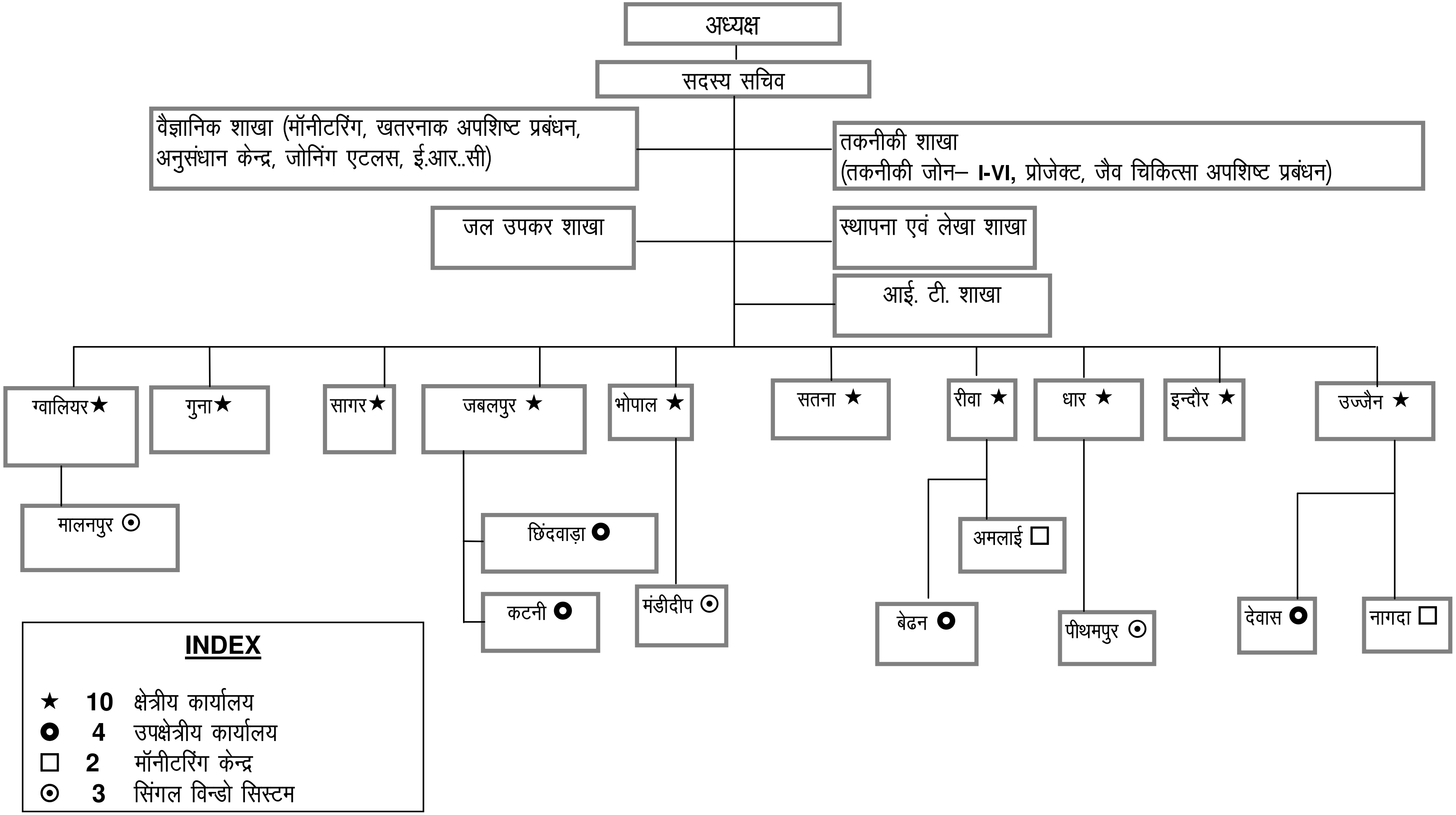
अध्यक्ष
सदस्य सचिव
वैज्ञानिक शाखा (मॉनीटरिंग, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, अनुसंधान केन्द्र, जोनिंग एटलस, ई.आर..सी)
तकनीकी शाखा
(तकनीकी जोन– I-VI, प्रोजेक्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन)
जल उपकर शाखा
स्थापना एवं लेखा शाखा
आई. टी. शाखा
ग्वालियर★
गुना★
सागर★
जबलपुर ★
भोपाल ★
सतना ★
रीवा ★
धार ★
इन्दौर ★
उज्जैन ★
मालनपुर ⊙
छिंदवाड़ा
कटनी
मंडीदीप ⊙
अमलाई □
बेढन
पीथमपुर ⊙
देवास
नागदा □
INDEX
★ 10 क्षेत्रीय कार्यालय
4 उपक्षेत्रीय कार्यालय
□ 2 मॉनीटरिंग केन्द्र
⊙ 3 सिंगल विन्डो सिस्टम

2.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ

बोर्ड की कार्य दक्षता बढाने के लिये जन सामान्य से यह अपेक्षा है कि वे पर्यावरणीय समस्यों के संबंध में बोर्ड को लिखित रूप से सूचना देवें एवं समस्या के संबंध में अवगत करावें ।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था

बोर्ड द्वारा जन जागृति अभियान के तहत् प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रम अनेक अवसरों पर आयोजित किये जाते है जैसे कि

1 विश्व पर्यावरण दिवस (दिनांक 5 जून)
2 वसुंधरा दिवस (दिनॉक 22 अप्रैल)
3 ओजोन दिवस (दिनॉक 16 सितम्बर)
4 मैलो के अवसर पर प्रदर्शिनी का आयोजन एवं कार्यक्रम।

उक्त अवसरों पर विभाग के जनसंपर्क शाखा से संपर्क कर उपरोक्त अथवा अन्य कार्यक्रमों में जन सहयोग सुनिशचित किया जा सकता है ।

2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था

बोर्ड में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है उसमें जो शिकायतें प्राप्त होती है उसकी जॉच कर निराकरण किया जाता है ।

2.11 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/एकल खिडकी/मॉनीटरिंग कार्यालय के पते

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते

1	म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, **भोपाल –462 016 (म.प्र.)**	2	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, **भोपाल (म.प्र.)**
3	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 78, पार्ट–2, प्लाट नं.–1 **इन्दौर (म.प्र.)**	4	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पं. दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, **ग्वालियर (म.प्र.)**
5	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड **(धार)**, स्कीम नं. 78, पार्ट–2, प्लाट नं.–1 इन्दौर **(म.प्र.)**	6	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गैल कॉम्पलेक्स, मेट्रो होटल के समीप, टैंकर पार्किंग एरिया, **विजयपुर, जिला गुना**
7	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मकान नं. 318,गली नं. 5 धवारी, **सतना (म.प्र.)**	8	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एच.आई.जी. 190–191 नेहरू नगर कॉलोनी, **रीवा (म.प्र.)**
9	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यू कॉलोनी, तिली रोड, **सागर (म.प्र.)**	10	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 17 भरतपुरी, **उज्जैन (म.प्र.)**
11	क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5 प्लाट क. 455–56 विजय नगर, **जबलपुर (म.प्र.)**	12	उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 833, ओ पी एम कॉलोनी, **अमलाई,** जिला शहडोल (म.प्र.)
13	एकल खिड़की प्रणाली, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास भवन, **पीथमपुर** जिला धार **(म.प्र.)**	14	उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 6 मेहता कॉलोनी, वार्ड क. 22 परासिया रोड, **छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**

15 एकल खिड़की प्रणाली, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए.के.व्ही.एन ग्रोथ सेंटर **मालनपुर**, जिला भिण्ड (म.प्र.)	16 एकल खिड़की प्रणाली, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए.के.व्ही.एन.,**मंडीदीप** जिला रायसेन (म.प्र.)
17 उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एम आई जी 744, विकास नगर **देवास** (म.प्र.)	18 उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एच 1 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, **नागदा** जिला उज्जैन (म.प्र.)
19 उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, **कटनी** (म.प्र.)	20. उप क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 41 / 160 कॉलेज रोड **बैढन**, जिला सीधी (म.प्र.)

2.12 कार्यालय के खुलने का समय – 10.00 प्रातः
कार्यालय के बंद होने का समय – 05.00 सायं